

અધ્યાય III: વિત્તીય પ્રતિવેદન સંવ્યવહાર

अध्याय-III: वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा जारी निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर आधारित प्रतिवेदन की पूर्णता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रस्तुत सूचनाओं की प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ली गई गैर-बजट उधारी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि किसी राज्य सरकार पर भारत सरकार का कोई बकाया ऋण या गारंटी है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ऋण ग्रहण करने हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य सरकारों हेतु सामान्य सकल उधारी सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

उपर्युक्त निर्धारित निवल उधारी सीमा को दरकिनार कर, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एस०पी०एस०यू०)/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से गैर-बजट उधारी लेना, राज्य की राजकोषीय स्थिरता और पारदर्शिता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, विशेषकर तब, जब इनके पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य पर हो। इसे नियंत्रित करने हेतु, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों की निर्धारित उधारी सीमा को उनके द्वारा ली गई गैर-बजट उधारी की राशि तक कम किया जा रहा है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (बी०एफ०आर०बी०एम०), 2006 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जनहित में अपने राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय करेगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विशेष प्रयोजन उद्यम (एस०पी०वी०) एवं अन्य समकक्ष साधनों के माध्यम से ली गई गैर-बजट उधारियों से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों का प्रकटीकरण करेगी, जहाँ ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान की अंतिम जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। इसके अतिरिक्त बी०एफ०आर०बी०एम०, अधिनियम, 2006 में यह भी प्रावधान है कि बजट दस्तावेजों के साथ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा राज्य के कुल बकाया ऋण¹ के संबंध में तीन वर्षीय क्रमिक लक्ष्यों को समाहित करेगा।

वर्ष 2024-25 के लिए, बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के तहत ऋण सीमा को 35.67 प्रतिशत के रूप में लक्षित किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने राज्य के लिए ₹ 29,759.91 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का तीन प्रतिशत) की उधार सीमा तय की थी।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2024-25 में गैर-बजट उधारी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा कोई गैर-बजट उधारी नहीं ली गयी। सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक बकाया गैर-बजट उधारी ₹ 1,823 करोड़ थी। गैर-बजट उधारियों का विवरण **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

¹ बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 के अनुसार, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधि और जमा शामिल हैं।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 तक गैर-बजट उधारियों का विवरण
(जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया)

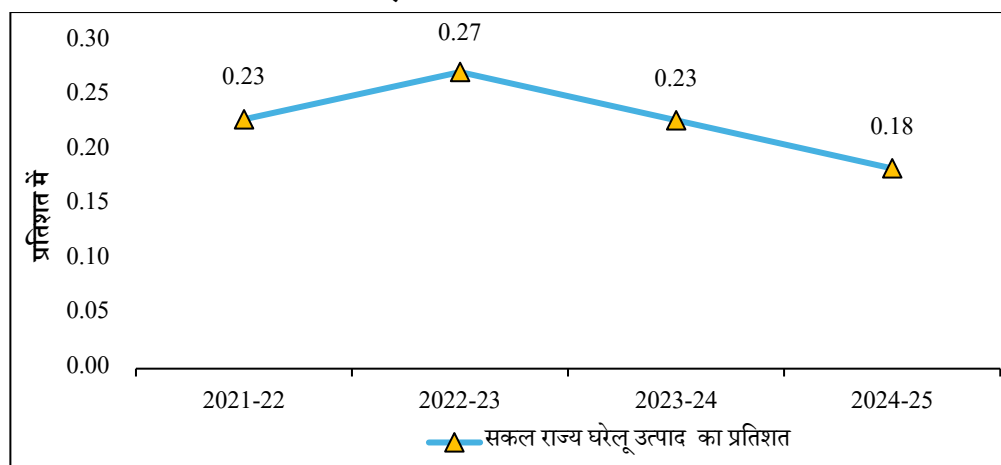
(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से ऋण लेने वाली संस्थाएँ	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 तक बकाया ऋण
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, पटना	2,000.00	1,260.25	जे०पी० गंगा पथ का निर्माण	1,135.49
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	2,820.41	1,100.00	ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना का कार्यान्वयन	687.51
			कुल	1,823.00

स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

कुल बकाया गैर-बजट उधारी को जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में चार्ट 3.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 तक जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में बकाया गैर-बजट उधारी



स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

इन उधारियों का पुनर्भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया जा रहा था। वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी०एस०यू०) ने राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से ₹ 365.12 करोड़ की गैर-बजट उधारी का पुनर्भुगतान किया, जिसका विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज भुगतान एवं मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु प्रदान की गई सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संस्थाओं का नाम	ब्याज राशि के भुगतान हेतु सहायता	मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु सहायता
1	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	118.25	85.35
2	बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार	69.86	91.66
	कुल	188.11	177.01

स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

बजट दस्तावेजों में गैर-बजट उधारियों का प्रकटीकरण न किया जाना राज्य सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति को अपारदर्शी बनाता है। यद्यपि, वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा कोई नई गैर-बजट उधारी नहीं ली गई,

तथापि पूर्व में ली गई गैर-बजट उधारियों के संबंध में ब्याज भुगतान एवं मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार ने अपने विशेष प्रयोजन उद्यम (एस०पी०वी०) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

3.2 सरकार की अप्रदत्त देनदारियां

संगृहीत उपकर को नामित निकायों को अंतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) में निर्धारित अंशदान का कम प्रेषण जैसे अप्रदत्त दायित्व, दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण राजकोषीय एवं प्रशासनिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इस प्रकार के अप्रदत्त देनदारियां समय के साथ संचित होकर छिपे हुए दायित्व का रूप ले लेती हैं, जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करता है। इसके अतिरिक्त, उपकर के अंतरण में विलंब से अपेक्षित विकासात्मक अथवा कल्याणकारी परिणामों की प्राप्ति बाधित होती है, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावित होती है, जिनके लिए ऐसे उपकर अधिरोपित किए गए थे। इसी प्रकार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) में कम प्रेषण न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन है, बल्कि कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। दीर्घ अवधि में इस तरह के संव्यवहार विश्वास को कम कर सकते हैं, कानूनी दायित्वों को जन्म दे सकते हैं एवं भविष्य के व्यय दायित्वों में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो सकती है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर हो सकते हैं। ऐसे मामलों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.1 अप्रदत्त ब्याज दायित्व

राज्य सरकार के लोक लेखों के अंतर्गत आरक्षित निधियां विशिष्ट एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां संचित निधि से प्राप्त अंशदान/अनुदान अथवा बाहरी संस्थाओं से प्राप्त संसाधनों के माध्यम से निर्मित होती हैं। दूसरी ओर, राज्य के लोक लेखों के अंतर्गत ब्याज सहित जमा राशियां वे निधियां हैं, जिन्हें सरकार न्यास के रूप में धारण करती है जिन पर ब्याज दिया जाता है, जिसमें सामान्यतः विशिष्ट आरक्षित निधियां तथा कुछ व्यक्तिगत/सिविल जमा सम्मिलित होते हैं। ब्याज सहित जमा राशि/आरक्षित निधि में संचित राशियों का प्रावधान करने तथा ब्याज का भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार में निहित है।

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधियों से संबंधित शेष (01 अप्रैल 2024 के अनुसार) ₹ 3900.11 करोड़ राशि के विरुद्ध ₹ 394.11 करोड़ ब्याज का भुगतान किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अर्जित ब्याज के विरुद्ध मात्र ₹ 89.67 करोड़ का ही भुगतान किया गया, जबकि शेष ₹ 304.44 करोड़ का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जैसा कि तालिका 3.3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.3: ब्याज सहित जमा/आरक्षित निधि के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ब्याज सहित जमा निधि का नाम	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	सरकारी कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना (संदर्भ: कंडिका 3.2.2)	50.80	आर्थिक मामलों के विभाग (डी०ई०ए०), वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गयी।	3.61
2.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	289.47	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 3.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	13.21

क्रम सं०	ब्याज सहित जमा निधि का नाम	01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
3.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2,800.04	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर लागू दर (रेपो दर + 2 प्रतिशत) के आधार पर 8.46 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	219.96
4.	राज्य आपदा शमन निधि	759.80	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर लागू दर (रेपो दर + 2 प्रतिशत) के आधार पर 8.46 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई।	67.66
	कुल	3,900.11		304.44

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

ब्याज दायित्व ₹ 304.44 करोड़ का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को कम बताया गया, जिसने राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को उस सीमा तक कम कर दिया।

पेंशन निधि, वनीकरण निधि और अन्य लोक लेखे निधि में ब्याज न जमा करने से संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 266) और प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप देनदारियों का कम आकलन, निधि शेषों का अशुद्ध प्रतिरूपण एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया। यह स्थिति राज्य सरकार के वसूली दायित्वों एवं प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) अंशदान (₹ 3.61 करोड़) के जमा न होने अथवा विलंब से होने से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं, जैसा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियमावली, 2021 में निर्धारित है, को भी उद्धटित करती है।

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान

राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) लागू की जिसके अंतर्गत परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी०सी०पी०एस०) जिसमें अप्रैल 2019 से कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 14 प्रतिशत होना था। अंशदान की कुल राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/न्यासी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित किया जाना था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डी०सी०पी०एस० के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डी०सी०पी०एस० के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर्मचारियों का अंशदान	सरकार का अंशदान	कुल	संवितरण (एन०एस०डी०एल० को अंतरित)	कम(-)/ अधिक(+) अंतरण
2024-25	10.24	2,348.73	3,281.94	5,640.91	4,340.10	(-)1,300.81

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कि 01 अप्रैल 2024 को डी०सी०पी०एस० के अंतर्गत प्रारम्भिक शेष ₹ 10.24 करोड़ था। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल ₹ 5,636.95 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान: ₹ 2,348.73 करोड़, सरकार का अंशदान: ₹ 3,288.22 करोड़) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) में जमा किए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि, सरकार द्वारा एन०पी०एस० में ₹ 3,281.94 करोड़ (₹ 6.28 करोड़ से कम) का ही अंशदान किया गया।

सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) से एन०एस०डी०एल०/न्यासी बैंक में ₹ 4,340.10 करोड़ अंतरित किए, जिससे ₹ 1,300.81 करोड़ (₹ 5,640.91 करोड़ {₹ 10.24 करोड़ के प्रारंभिक शेष सहित} घटाव ₹ 4,340.10 करोड़) की शेष राशि बची रही। यह राशि अभी एन०एस०डी०एल० को अंतरित की जानी शेष थी। इसके अलावा, 2020-21 से पूर्व की अवधि से संबंधित नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान सहित अंत शेष ₹ 40.56 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8011-106 अन्य बीमा और पेंशन निधि) भी 31 मार्च 2025 तक एन०एस०डी०एल० को अंतरित किया जाना शेष था।

वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्तियाँ, सरकार का अंशदान और पेंशन निधि में निवेश का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

कुल ₹ 1,341.37 करोड़ का अंतरण न होने के परिणामस्वरूप न केवल सरकार के नकदी शेष में उतनी ही राशि की अतिशयोक्ति हुई, बल्कि राजस्व और राजकोषीय घाटे को भी उस सीमा तक कम करके बताया गया। इसके अतिरिक्त, अंशदान और निधि अंतरण में विलंब के कारण, राज्य सरकार को ₹ 29.84 करोड़ के परिहार्य ब्याज का वहन करना पड़ा।

एन०पी०एस० के अंतर्गत डी०सी०पी०एस० को अपनाने के बावजूद, निधि के अंतरण में विलंब के कारण, राज्य को अपरिहार्य ब्याज का वहन करना पड़ा, जिससे न केवल कर्मचारियों के प्रतिफल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बल्कि राज्य पर एक विलंबित दायित्व भी उत्पन्न कर दिया।

3.2.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का हस्तांतरण न किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) एवं बिहार सरकार के नियमों/संकल्प के अनुसार, भूमि की लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय किसी भी क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर, नियोक्ताओं/निर्माताओं द्वारा किए गए निर्माण व्यय पर एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर अधिरोपित एवं संगृहीत किया जाना था। सभी विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को यह निर्देश दिया गया था कि वे स्वीकृत आवासीय भवन योजनाओं वाले व्यक्तियों सहित सभी निर्माण कार्यों से, यह उपकर संग्रह करें तथा संगृहीत उपकर राशि को राज्य के 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' में जमा करें। संगृहीत उपकर राशि का उपयोग राज्य के सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना था।

विभागों ने उपकर के संग्रह को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-108-लोक निर्माण जमा के तहत दर्ज किया, जिसमें उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियां भी शामिल हैं। इसलिए, विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित उपकर को दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा जून 2019 में एक अलग उप-शीर्ष (8443-00-108-0004) खोला गया था। हालांकि, 31 मार्च 2025 तक यह लेखा शीर्ष कार्यशील नहीं था। इसके अतिरिक्त, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर की वसूली मांग ड्राफ्ट, चेक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन०ई०एफ०टी०)/ रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (आर०टी०जी०एस०) तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी की जा रही थी।

01 अप्रैल 2024 तक श्रम उपकर का प्रारंभिक शेष ₹ 223.78 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य शीर्ष “8443-108” के तहत ₹ 124.03 करोड़ का श्रम उपकर संगृहीत किया गया था और ₹ 136.69 करोड़ का उपकर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अंतरित किया गया था। इस प्रकार, ₹ 211.12 करोड़ की राशि अंतरित नहीं होने के कारण न केवल नकदी शेष का अधिकांश हुआ, बल्कि उसी सीमा तक राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा को कम प्रदर्शित किया गया। समर्पित उपकरणों को संबंधित निधियों में अंतरित करने में हुई देरी ने कल्याणकारी योजनाओं के समय पर निष्पादन को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपकर राशि को कल्याण बोर्ड को अंतरित करने से पहले, इसे एक निर्धारित सरकारी 'लेखा शीर्ष' के माध्यम से भेजने की मानक प्रक्रिया अपनाने के बजाय, कुछ संस्थाओं द्वारा संग्रह की गई राशि सीधे बोर्ड को भेज दी गई, जबकि अन्य संस्थाओं ने इसे कोषागार संचालन के माध्यम से जमा किया। एक समन्वित एवं समरूप लेखांकन ढाँचे के अभाव में उपकर संग्रहण एवं अंतरण की पूर्णता, सटीकता तथा समाशोधन सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लेखे उस सीमा तक अधूरे रहे। इसके अलावा, इन प्रक्रियात्मक भिन्नताओं के कारण बकाया राशि के सत्यापन और अनुगमन में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

3.2.4 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन०एम०ई०टी०) की स्थापना अगस्त 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)-एम०एम०डी०आर० अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1) के अंतर्गत की गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा धारक या खनिज रियायत धारक को द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि का दो प्रतिशत राशि, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, न्यास को भुगतान करेगा।

एन०एम०ई०टी० नियम, 2015 के अनुसार, राज्य इस राशि का संग्रहण कर उसे राज्य के लोक लेखों में मुख्य शीर्ष 8449-123-एन०एम०ई०टी० जमा के अंतर्गत जमा करने तथा उक्त निधि को प्रतिमाह भारत की संचित निधि में अंतरित करने के लिए उत्तरदायी है। खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ०एन० 8/1/2015-एन०एम०ई०टी० दिनांक: 05 अप्रैल 2018 के माध्यम से एन०एम०ई०टी० नियमों के अंतर्गत निधि के लेखांकन की प्रक्रिया अधिसूचित की थी।

01 अप्रैल 2024 को एन०एम०ई०टी० के अंतर्गत प्रारंभिक शेष ₹ 2.15 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस शीर्ष में ₹ 4.16 करोड़ जमा हुए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 2.36 करोड़ ही एन०एम०ई०टी० को अंतरित किए गए। मुख्य शीर्ष 8449-123 के अंतर्गत अंत शेष (31 मार्च 2025 को) ₹ 3.95 करोड़ रहा (प्रारंभिक शेष ₹ 2.15 करोड़ + ₹ 4.16 करोड़ प्राप्ति – ₹ 2.36 करोड़ अंतरित)। ₹ 3.95 करोड़ की राशि अंतरित नहीं होने के कारण न केवल नकदी शेष का अतिकथन हुआ, बल्कि उसी सीमा तक राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा का भी अवकथन हुआ।

अतः राज्य सरकार को एम०एम०डी०आर० अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी, एन०एम०ई०टी० नियमों तथा खनन मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

3.2.5 प्रतिदाय के लंबित मामलों

प्रतिदाय के मामलों के निपटान में तत्परता, संबंधित विभाग के कार्य निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। सात² कर संग्रह विभागों में से, केवल दो विभागों (वाणिज्यिक कर और मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद) ने प्रतिदाय के लंबित मामलों के आंकड़े उपलब्ध कराए।

वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय मामलों का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	जी०एस० टी०		बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	136	27.69	312	22.48	123	3.71
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	985	153.95	195	59.11	4	0.22
3.	वर्ष के दौरान दिए गए प्रतिदाय	257	43.61	58	11.09	5	1.16
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत किये गए प्रतिदाय	734	105.48	319	28.68	0	0.00
5.	वर्ष के अंत में लंबित शेष	130	32.55	130	41.82	122	2.77

स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

संपूर्ण आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा राज्य के लंबित प्रतिदाय मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सकी।

3.3 सरकारी लेखों से बाहर की निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त सभी धनराशि मिलकर एक निधि बनेगी, जिसे 'राज्य की संचित निधि' कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन जैसा भी मामला हो, 'राज्य के लोक लेखे' में जमा किए जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न उपकर/लेवी अधिरोपित किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरों/लेवी के संबंध में सूचना/आंकड़े संकलित किया गया, जिनकी चर्चा आगे की गई है :

² वाणिज्य कर, परिवहन, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन (निबंधन), मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन (उत्पाद), खान एवं भूतत्व, ऊर्जा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार।

i सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन (एम०वी०), कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य में सड़क सुरक्षा उपकर का अधिरोपण एवं संग्रहण किया गया था। सड़क सुरक्षा उपकर के प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 में “बिहार सड़क सुरक्षा निधि (बी०आर०एस०एफ०)” को अधिसूचित किया गया।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्ति हेतु लेखा शीर्ष 0041-00-102-0002 – ‘सड़क सुरक्षा उपकर के उद्ग्रहण से प्राप्तियां’ और व्यय करने हेतु लेखा शीर्ष 2041-00-101-0005 – ‘सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्तियों का योगदान’ अधिसूचित (मार्च 2017) किया गया। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लेखा शीर्ष अधिसूचित किए गए थे, तथापि 31 मार्च 2025 तक सड़क सुरक्षा उपकर के लिए कोई पृथक निधि का सृजन नहीं किया गया एवं संगृहीत सड़क सुरक्षा उपकर को बैंक खातों में रखा जा रहा था।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने सड़क सुरक्षा उपकर के रूप में ₹ 207.82 करोड़ एकत्र किए, लेकिन लोक लेखा के बजाय राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा संचालित निर्दिष्ट बैंक खाते में केवल ₹ 2.41 करोड़ (2023-24: ₹ 23.77 करोड़) अंतरित किए, जो संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। उपकर के कम अंतरण होने से न केवल नकदी शेष का अतिकथन हुआ, बल्कि उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे का अवकथन भी हुआ।

ii भूमि उपकर

बिहार में ग्रामीण विकास तथा स्थानीय निकायों के कार्यों में मदद हेतु लगान (किराया) पर चार विभिन्न उपकर अधिरोपित किए जाते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा लगान (किराया) पर स्वास्थ्य (50 प्रतिशत), शिक्षा (50 प्रतिशत), सड़क (25 प्रतिशत) तथा कृषि (20 प्रतिशत) उपकर अधिरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 0029-00-103-0002 के अंतर्गत ₹ 0.79 करोड़ (2023-24 में ₹ 1.49 करोड़) भूमि उपकर के रूप में संगृहीत किए गए।

चूंकि मुख्य शीर्ष 0029-00-103-0002 में ‘भूमि पर दरें एवं उपकर’ से संबंधित अन्य प्राप्तियां भी सम्मिलित थीं, अतः भूमि उपकर के रूप में संगृहीत राशि को पृथक रूप से चिह्नित अथवा विशिष्ट रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया एवं उपकर के विरुद्ध व्यय प्रायः सामान्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता रहा, जिससे इसे विशिष्ट विकासात्मक गतिविधियों से स्पष्ट रूप से संबद्ध नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, उपकर के संग्रहण, अंतरण एवं उपयोग हेतु राज्य द्वारा अभी तक कोई समर्पित निधि का सृजन नहीं किया गया है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था, किंतु उत्तर अभी तक (जनवरी 2026) प्राप्त नहीं हुआ है।

3.3.1 बिहार विद्युत विनियामक आयोग की निधियों का राज्य के लोक लेखा के बजाय बैंक खातों में रख-रखाव

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार, ‘राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे’।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किया गया था। अधिनियम की धारा 103 यह निर्धारित करती है कि ‘बिहार विद्युत विनियामक आयोग निधि, 2011

(बी०ई०आर०सी०एफ०)³ नामक एक निधि का सृजन हो जिसमें आयोग की प्राप्ति³ को जमा किया जाना तथा वहीं से व्यय किया जाना था। हालांकि, बिहार सरकार ने इसके बजाय बिहार विद्युत विनियामक आयोग (निधि) नियम, 2011 अधिनियमित किए, जिसके (नियम 7) तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसी प्राप्ति और व्ययों के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग निधि खाते का संचालन एक राष्ट्रीयकृत बैंक में किया जाए। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप लोक निधि को राज्य के लोक लेखे में जमा करने के स्थान पर अनुसूचित बैंक खाते में रखा गया, जो संवैधानिक प्रावधानों/अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। मार्च 2024 तक, राज्य के लोक लेखा के बजाय बी०ई०आर०सी०एफ० के बैंक खाते में ₹ 44.08 करोड़ शेष थे। परिणामस्वरूप, न केवल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बल्कि लोक लेखा का शेष भी ₹ 44.08 करोड़ से अवकथन दिखाया गया, जो राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में सहायक हो सकता था।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

3.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के नियम 341(2) में प्रावधान है कि जहाँ सहायता अनुदान (जी०आई०ए०) स्वीकृत की जाती है तथा उनके उपयोग के संबंध में विशिष्ट व्यय उद्देश्यों, समय-सीमा अथवा अन्य शर्तें निर्धारित की जाती हैं, वहाँ जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रति-हस्ताक्षर से सहायता अनुदान का विपत्र आहरित किया गया है, वह उक्त शर्तों की पूर्ति के संबंध में महालेखाकार के समक्ष प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता (बी०टी०सी०), 2011 के नियम 271(ई) के अनुसार, सहायता अनुदान के निर्गमन की तारीख से 18 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 1,31,361.32 करोड़ के 71,968 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किए जाने थे। वर्ष के प्रारम्भ (अप्रैल 2024) में, ₹ 70,877.61 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे एवं वर्ष के दौरान, ₹ 39,228.57 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र को समायोजित किया गया था, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 92,132.75 करोड़ (परिशिष्ट 3.2) के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष रह गए, जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

31 मार्च 2025 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अधिकतम राशि वाले शीर्ष पांच विभागों का विवरण चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्ष-वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र देय वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या	राशि
2019-20 से पहले	3,505	21,515.36
2019-20	9,241	6,482.14
2020-21	15,544	7,443.46
2021-22	12,695	13,374.03
2022-23	15,538	23,046.38

³ (क) राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए कोई भी अनुदान और ऋण; (ख) इस अधिनियम के तहत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क; एवं (ग) अन्य किसी भी स्रोत से राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।

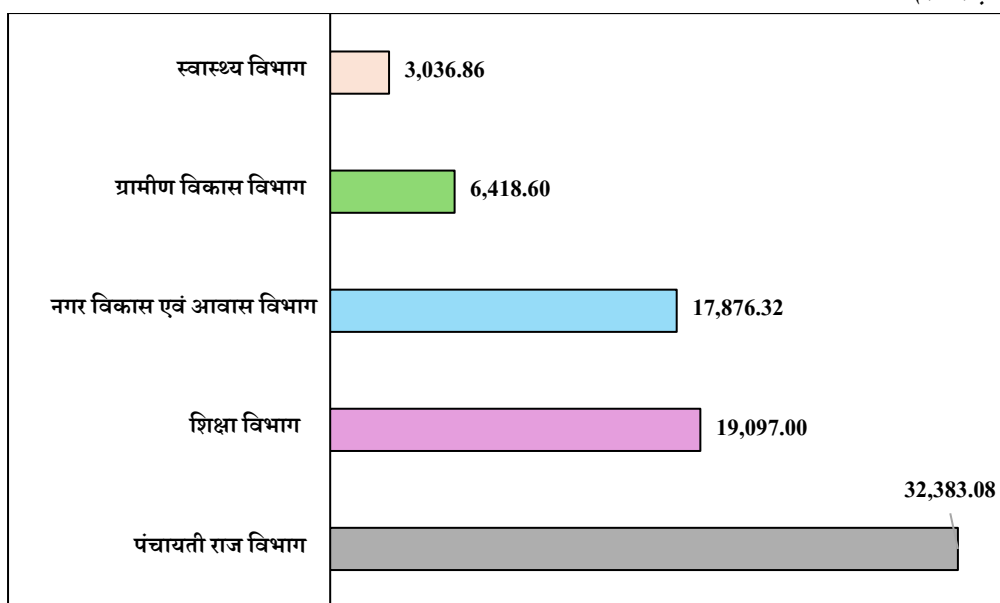
उपयोगिता प्रमाण-पत्र देय वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या	राशि
2023-24 (सितंबर 2023 तक स्वीकृत)	6,109	20,271.38
कूल	62,632	92,132.75

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

*ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक आहरण के 18 महीने के बाद।

चार्ट 3.2: 31 मार्च 2025 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उपयोगिता प्रमाण-पत्र) की सर्वाधिक राशि वाले शीर्ष पाँच विभाग

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार

लेखापरीक्षा अवधि तक विभिन्न वर्षों में निर्गत किये गए सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की एक बड़ी संख्या लंबित पाई गई, जिनसे संबंधित पर्याप्त राशि के वास्तविक उपयोग का सत्यापन नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित होने के बावजूद कार्यान्वयन संस्थाओं को अनुदान का निरंतर निर्गमन किया जाना प्रशासनिक विभागों तथा वित्त विभाग द्वारा प्रभावी समीक्षा के अभाव एवं प्रभावहीन नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

चूँकि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना निधि के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है, अतः यह अत्यावश्यक है कि राज्य सरकार इस विषय पर सुक्ष्मतरंग रूप से निगरानी रखे तथा संबंधित अधिकारियों को इन प्रमाण-पत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी ठहराए।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था, किंतु उत्तर अभी तक (जनवरी 2026) प्राप्त नहीं हुआ है।

3.5 सार आकस्मिक विपत्र

जब अग्रिम रूप से धनराशि की आवश्यकता होती है अथवा आवश्यक राशि का उचित आकलन संभव नहीं हो, तब आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) को सहायक दस्तावेजों के बिना सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र के माध्यम से सेवा शीर्ष को नामे (डेबिट) करते हुए धन आहरित करने की अनुमति दी जाती है एवं व्यय को संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। सार आकस्मिक विपत्र के माध्यम

से व्यय केवल आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए।

बिहार कोषागार संहिता (बी०टी०सी०), 2011 के नियम 177 में प्रावधान है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च से पहले कोषागार में जमा कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, बी०टी०सी०, 2011 के नियम 194 के प्रावधान के अनुसार, जिस कोषागार से सार आकस्मिक विपत्र का आहरण किया गया है, उसी कोषागार में विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करने में किसी भी स्थिति में छह महीने से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा करने में देरी या लंबे समय तक जमा न करने से लेखे की पूर्णता और शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2025 तक समायोजन हेतु लंबित सार आकस्मिक विपत्रों का विवरण तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7: सार आकस्मिक विपत्रों का वर्ष-वार लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़े गए		वर्ष के दौरान समायोजित किये गए		अंतःशेष	
	समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि	आहरित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि	समर्पित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि	समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	राशि
2022-23 तक	14,643	3,752.82	4,382	6,149.30	3,621	4,141.85	15,404	5,760.27
2023-24	15,404	5,760.27	5,088	4,718.24	2,919	1,088.23	17,573	9,390.28
2024-25 [#]	17,573	9,390.28	2,038	1,016.94	124	45.48	19,487	10,361.74

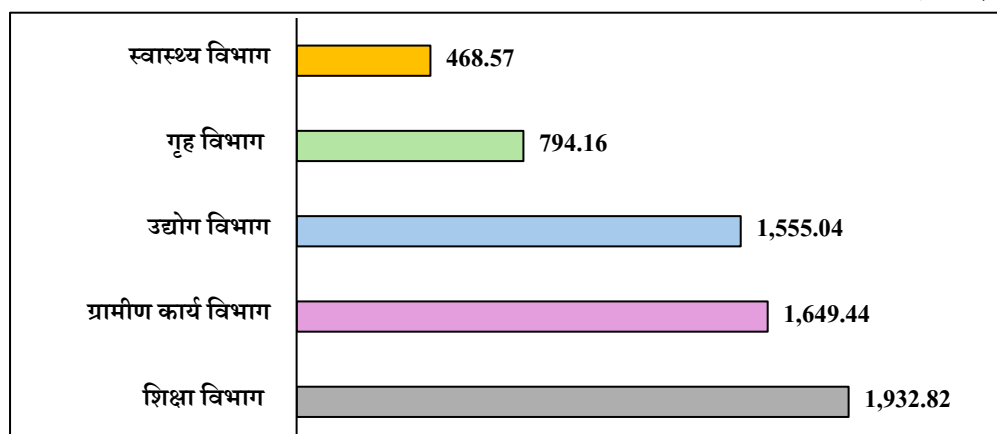
स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

[#] सितंबर 2024 तक आहरित किये गए सार आकस्मिक विपत्रों पर आधारित

2024-25 के दौरान, ₹ 1,016.94 करोड़ के कुल 2,038 सार आकस्मिक विपत्र आहरित किये गए, जिनमें ₹ 679.36 करोड़ (66.80 प्रतिशत) की राशि के 1,366 सार आकस्मिक विपत्र मार्च 2025 में आहरित किये गए। 2024-25 के दौरान, ₹ 45.48 करोड़ की राशि के 124 सार आकस्मिक विपत्रों को समायोजित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान यानी 31 मार्च 2025 (परिशिष्ट 3.3) तक ₹ 737.24 करोड़ के 1,042 सार आकस्मिक विपत्रों को भी आंशिक रूप से समायोजित किया गया था। लंबित कुल ₹ 10,361.74 करोड़ में से ₹ 5,513.69 करोड़ विभिन्न मुख्य शीर्ष (4515, 4202, 4210 और 4851) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय से संबंधित थे, जो नियोजित गतिविधियां थीं। पांच मुख्य विभागों के तहत लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र चार्ट 3.3 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 3.3: पांच मुख्य विभागों के तहत लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार

पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में सार आकस्मिक विपत्र के माध्यम से व्यय किया जाना सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में योजना, नियंत्रण एवं वित्तीय अनुशासन की कमी को इंगित करता है। यह इसे भी इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजटीय प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे थे। लंबे समय तक राजकोष के बाहर असमायोजित अग्रिमों को बनाए रखना धन के दुरुपयोग, गबन तथा राज्य के राजकोष को संभावित हानि का जोखिम उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक विपत्र की अप्राप्ति की सीमा तक, वित्तीय लेखों में प्रदर्शित व्यय को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार को विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की समय से प्रस्तुति की अनिवार्यता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5.1 असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, अनुमानित मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों के व्ययगत होने से रोकने के उद्देश्य से कोषागार से कोई भी राशि आहरित नहीं की जाएगी। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अग्रिम रूप में राशि आहरित की जाती है, तो उस आहरित राशि में से अव्ययित शेष को यथाशीघ्र अगले विपत्र में कम आहरण के माध्यम से अथवा चालान के जरिए कोषागार में वापस जमा कर दिया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में जिस वित्तीय वर्ष में राशि आहरित की गई हो, उसके अंत से पहले जमा कर दी जानी चाहिए।

31 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों के कार्यकारी कार्यालयों के पास ₹ 184.52 करोड़ की असमायोजित अस्थायी अग्रिम राशि एवं ₹ 25.46 करोड़ की असमायोजित अग्रदाय राशि लंबित पाई गई। असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदाय राशियों का विवरण तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: 31 मार्च 2025 तक असमायोजित अस्थायी अग्रिम/ अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	विभाग/संगठन	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63

क्र०सं०	विभाग/संगठन	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
4	पथ निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग)	0.78	0.09	0.87
5	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
6	लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
	कुल	184.52	25.46	209.98

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार

असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय शेषों का लंबे समय तक लंबित रहना वित्तीय अनुशासन के अभाव को दर्शाता है और यह आंतरिक नियंत्रण की अल्पता को भी इंगित करता है।

3.6 लोक लेखों के अंतर्गत जमा

संघ और राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष की सूची के अंतर्गत, व्यक्तिगत जमा ऐसे व्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं जिन्हें 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा तथा 8448-स्थानीय निधियों के जमा जिसे व्यक्तिगत बही (पी०एल०) खाता भी कहा जाता है के अंतर्गत संचालित किया जाता है।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 339 के अनुसार, वित्त विभाग की लिखित स्वीकृति तथा प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) को सूचित किए बिना कोषागार में कोई भी पी० डी०/ पी० एल० खाता नहीं खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 340 (ख) में यह प्रावधान है कि पी० डी०/पी० एल० खाते केवल विशेष परिस्थितियों में ही संचालित किए जाएँ, जहाँ लोकहित में व्यय की गति को बनाए रखने की आवश्यकता हो और सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से व्यय संभव न हो, अथवा जहाँ लाभार्थियों की संख्या अधिक हो तथा वे दूरस्थ/अंतर्गत क्षेत्रों में स्थित हों, जिससे कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष भुगतान करना व्यावहारिक रूप से संभव न हो।

3.6.1 व्यक्तिगत जमा खाता

व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी० डी० खातों की समीक्षा करें और लगातार पांच वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि आहरित किया गया था) तक अव्ययित पड़े राशि को उस सेवा शीर्ष के व्यय में कटौती के माध्यम से राज्य की संचित निधि में वापस अंतरित कर दें।

बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 01 अप्रैल 2019 से पूर्व खोले गए सभी पी० डी०/पी०एल० खातों को सी०एफ०एम०एस० के तहत 01 अप्रैल 2019 से खोला माना जाएगा। ऐसे पी०डी०/पी०एल० खातों में अव्ययित शेष राशि पाँच अनुवर्ती वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगी और संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी (बिहार कोषागार संहिता, नियम 344) के रूप में संचित निधि में अंतरित कर दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की संचित निधि से लेखा शीर्ष 8443-106 के अंतर्गत पी०डी० खातों में ₹ 1,686.66 करोड़ की राशि अंतरित की गई। इसमें से ₹ 644.07 करोड़ की राशि मार्च 2025 में पी० डी० खातों में अंतरित की गई। 31 मार्च 2025 तक पी० डी० खातों का विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2024-25 की अवधि में पी० डी० खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01.04.2024 तक)		वर्ष 2024-25 के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण		अंत शेष (31.03.2025 तक)	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
252	2,180.46	0	1,686.66	0	1,207.55	252	2,659.57

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- वर्ष 2024-25 के दौरान, पी०डी० खातों के 252 प्रशासकों में से केवल 16 प्रशासकों ने अपने शेष का कोषागार अभिलेखों से समाशोधन एवं सत्यापन किया, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी को दर्शाता है।
- मार्च 2025 के दौरान ₹ 644.07 करोड़ की राशि पी०डी० खातों में अंतरित किए जाने से वर्ष के अंत में निधियों का पर्याप्त अवरोधन हुआ, जिससे यथार्थवादी बजट निर्धारण का उद्देश्य प्रभावित हुआ।
- बिहार कोषागार संहिता के नियम 344 का अनुपालन न करने के कारण ₹ 141.13 करोड़ की राशि व्यपगत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप निकासी के वर्ष में राजस्व व्यय उतनी राशि से अधिक प्रदर्शित हुआ।
- 109 पी०डी० खाते निष्क्रिय पाए गए, जिनमें ₹ 13.85 करोड़ की अव्ययित शेष राशि निष्क्रिय पड़ी रही, जो प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं आवधिक समीक्षा की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

इसलिए, सरकार को सभी पी०डी० खाता के प्रशासकों द्वारा समाशोधन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में पी०डी० खातों में निधियों का जमा रखना हतोत्साहित किया जाना चाहिए और धन का आहरण को वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। निष्क्रिय पी०डी० खातों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए एवं अव्ययित शेष राशि को राज्य की संचित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

3.6.2 स्थानीय निधि जमा

बिहार की जिला परिषद (जेड०पी०), पंचायत समिति (पी०एस०) और ग्राम पंचायत (जी०पी०) अपनी निधियों का रख-रखाव मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा-109-पंचायत निकाय निधि (राज्य का लोक लेखा) के अंतर्गत करती हैं। इन निधियों में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां, और पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आई०) द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां शामिल हैं, जैसे कि केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदान और उनका अपना राजस्व, जिसमें उनकी कर और गैर-कर प्राप्ति भी शामिल हैं। इसी तरह, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत राज्य की नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां और नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियां उनके द्वारा मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा-102-नगरपालिका निधि (राज्य का लोक लेखा) के अंतर्गत नगरपालिका निधि में रखी जाती हैं।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के अनुसार, पी०एल० खातों के प्रशासकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कोषागार के आंकड़ों के साथ अपने शेष का समाशोधन और सत्यापन करें एवं प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार को सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

नगरपालिका निधि और पंचायत निकाय निधि के तहत स्थानीय निधियों की जमा का विवरण तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: स्थानीय निधि की जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
नगरपालिका निधि	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	1	3,743.56	5,033.79	6,225.03	6,019.66	6,043.11
		प्राप्ति	2	3,913.13	4,066.75	2,600.45	4,545.47	3,687.44
		व्यय	3	2,622.90	2,875.51	2,805.82	4,522.02	3,844.03
		अन्त शेष	4	5,033.79	6,225.03	6,019.66	6,043.11	5,886.52
पंचायत निकाय निधि	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	5	754.98	852.58	756.29	710.29	465.75
		प्राप्ति	6	556.49	228.82	143.34	20.43	22.04
		व्यय	7	458.89	325.11	189.34	264.97	58.93
		अन्त शेष	8	852.58	756.29	710.29	465.75	428.86

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2024-25 के दौरान, पी०एल० खातों के 398 प्रशासकों में से केवल 33 प्रशासकों ने ही कोषागार के अभिलेखों के साथ अपनी शेष राशि का समाशोधन और सत्यापन किया। शेष राशि का समाशोधन न होने के कारण न केवल वित्तीय प्रतिवेदन की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि संचित निधि के बाहर रखी गई निधि के गलत विवरण, दुरुपयोग या विचलन का जोखिम भी बढ़ जाता है।

विगत कुछ वर्षों में, जमा खाते (मुख्य शीर्ष 8448) में संचित शेष राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹ 31,830.36 करोड़ तक पहुँच गई, जिसे तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: स्थानीय निधियों को जमा करने के लिए निधियों के अंतरण के रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			कुल (3+6)	मुख्य शीर्ष 8448 का अंत शेष
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित लेकिन व्यय के रूप में अंकित राशि	राजस्व व्यय का प्रतिशत (कॉलम 2)	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में अंतरित लेकिन व्यय के रूप में अंकित राशि	पूँजीगत व्यय का प्रतिशत (कॉलम 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021-22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64
2022-23	1,83,976	8,781	4.77	31,520	9,965	31.61	18,746	26,927.43
2023-24	1,90,514	12,295	6.45	36,453	11,072	30.37	23,367	30,017.64
2024-25	2,19,015	7,380	3.37	38,527	13,920	36.13	21,300	31,830.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

प्रारंभ में राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज की गई निधियों को बाद में लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8448 – स्थानीय निधियों की जमा में अंतरित कर दिया गया था, जहाँ वे आंशिक उपयोग या बिना उपयोग के पड़ी रहीं। संचित निधि के बाहर निधियों के इस तरह के अंतरण और प्रतिधारण के परिणामस्वरूप संबंधित वर्षों के वित्त लेखे में दर्ज वास्तविक व्यय में वृद्धि/ अतिशयोक्ति हुई। इसके अतिरिक्त, पी0एल0 खातों में निधियों का जमा रहना विधायी निगरानी को दरकिनार करता है तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों की अवहेलना करता है।

राज्य सरकार से निधियों के इस अंतरण तथा “स्थानीय निधियों की जमा” के अंतर्गत उनके अवरोधन के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

3.7 लघु शीर्ष- 800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो एवं प्राप्तियां व व्यय अनावर्ती प्रकृति में के हों। लघु शीर्ष- 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। संचित लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा संसाधनों के आवंटन की प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 37 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 893.11 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,18,657.83 करोड़) का 0.41 प्रतिशत है, को लेखे में ‘800-अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 22 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 502.51 करोड़, जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 2,57,542.25 करोड़) का 0.20 प्रतिशत है, को लेखे में ‘लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लघु शीर्ष ‘800’ के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान ₹ 132.24 करोड़ से बढ़कर ₹ 502.51 करोड़ हो गया, जबकि, लघु शीर्ष ‘800’ के अंतर्गत दर्ज की गई प्राप्तियाँ ₹ 3,364.36 करोड़ से घटकर ₹ 893.11 करोड़ रह गईं। लघु शीर्ष ‘800’ के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ तालिका 3.12 में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.12: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष -800 "अन्य प्राप्तियां" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियां (50 प्रतिशत और उससे अधिक अथवा वृहत मात्रा में नामित की गई राशि)
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों में लघु शीर्ष-800 की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	571.00	92.43	16.19
2	0049	ब्याज प्राप्तियां	1,466.91	551.77	37.61
3	0055	पुलिस	136.18	91.08	66.88
4	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	47.55	37.84	79.58
5	0071	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली का योगदान	15.38	13.38	87.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्राप्ति	कुल प्राप्ति में लघु शीर्ष-800 की प्रतिशतता
6	0230	श्रम एवं रोजगार	9.55	6.01	62.93
7	0401	फसल कृषि कर्म	5.52	3.10	56.16

स्रोत: वित्त लेख 2024-25, बिहार सरकार

लघु शीर्ष-800 (अन्य व्यय) के तहत महत्वपूर्ण व्यय (संबंधित मुख्य शीर्ष का 50 प्रतिशत और उससे अधिक) का विवरण तालिका 3.13 में उल्लिखित है।

तालिका-3.13 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत और उससे अधिक अथवा वृहत मात्रा में नामित की गई राशि) (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	45.33	41.50	91.55
2	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	442.09	442.09	100.00

स्रोत: वर्ष 2024-25 के वित्त लेख, बिहार सरकार

लघु शीर्ष '800' – विविध के अंतर्गत लेन-देन का बारंबार वर्गीकरण व्यय एवं प्राप्ति की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट कर देता है। इस शीर्ष का उपयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जब किसी अन्य विशिष्ट वर्गीकरण का प्रावधान उपलब्ध न हो। विभागों को ऐसे मामलों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए, आवर्ती मदों के लिए उपयुक्त लघु शीर्ष खोलने चाहिए तथा सरकारी लेखों में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ प्रदान करनी चाहिए।

परिणामात्मक मामले

3.8 मुख्य उचंत एवं ऋण, जमा और प्रेषण (डी०डी०आर०) शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/समायोजन लेखा शीर्ष, जिन्हें 8658-‘उचंत शीर्ष’ के नाम से जाना जाता है, सरकारी लेखों में उन प्राप्ति एवं भुगतानों के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित किए जाते हैं, जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने अथवा अन्य कारणों से किसी सुनिश्चित लेखा शीर्ष में तत्काल वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

वित्त लेख, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत नामे एवं जमा को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के महत्वपूर्ण उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल राशि का विवरण तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14 : उचित एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
		नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658 उचंत लेखा							
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत	276.05	280.40	312.87	363.52	40.15	37.18
	निवल नामे /जमा	नामे 360.73		नामे 310.07		नामे 313.04	
102	उचंत लेखा (सिविल)	-675.95	277.76	-8,508.25	451.83	-3,540.25	210.36
	निवल नामे /जमा	नामे 1,382.20		नामे 4,872.12		नामे 1,121.50	
107	नकदी समायोजन उचंत लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल नामे /जमा	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109	रिजर्व बैंक उचंत -मुख्यालय	-4.56	-0.24	-252.66	1.42	-15.49	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 257.40		नामे 3.33		नामे – 12.16	
110	रिजर्व बैंक उचंत - (केंद्रीय लेखा कार्यालय)	3.26	-0.2	1.51	4.26	284.48	-0.31
	निवल नामे /जमा	नामे 358.26		नामे 355.51		नामे 640.30	
112	स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) उचंत	1,279.66	1,520.61	2,056.80	1,594.29	1,682.17	1,701.43
	निवल नामे /जमा	जमा 525.39		जमा 62.88		जमा 82.15	
123	अ०भा०से०ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.32	0.06	0.21	0.06	0.40	0.07
	निवल नामे /जमा	जमा 5.34		जमा 519.50		जमा 4.86	
8782 एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा अंतःसमायोजन							
102	लोक निर्माण प्रेषण	0.00	0.00	2.38	0.00	0.11	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 919.11		नामे 921.49		नामे 921.60	
103	वन प्रेषण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 203.55		नामे 203.55		नामे 203.55	
8793 अंतर्राज्यीय उचंत लेखा							
		0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00
	निवल नामे /जमा	नामे 2.06		नामे 2.07		नामे 2.06	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, बिहार सरकार

इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष राशियों का समुचित समायोजन न किए जाने से राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों एवं व्ययों का वास्तविक स्थिति से कम प्रदर्शित होता है और प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता तथा राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेष (जो वर्ष-दर-वर्ष अग्रेषित किए जाते हैं) प्रभावित होता है।

3.9 विभागीय आंकड़ों का समाशोधन

बिहार बजट संहिता, 2016 की कंडिका 96 के अनुसार, नियंत्री अधिकारियों को अपने मासिक/त्रैमासिक आंकड़ों को प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के लेखे में दर्ज आंकड़ों के साथ समाशोधन करना आवश्यक है। राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने और लेखे में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि मुख्य नियंत्री अधिकारियों/ नियंत्री अधिकारियों को अपनी लेखों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय के आंकड़ों के साथ मासिक समाशोधन करना आवश्यक है।

नियंत्री अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के समाशोधन की स्थिति तालिका 3.15 और चार्ट 3.4 में दी गई है।

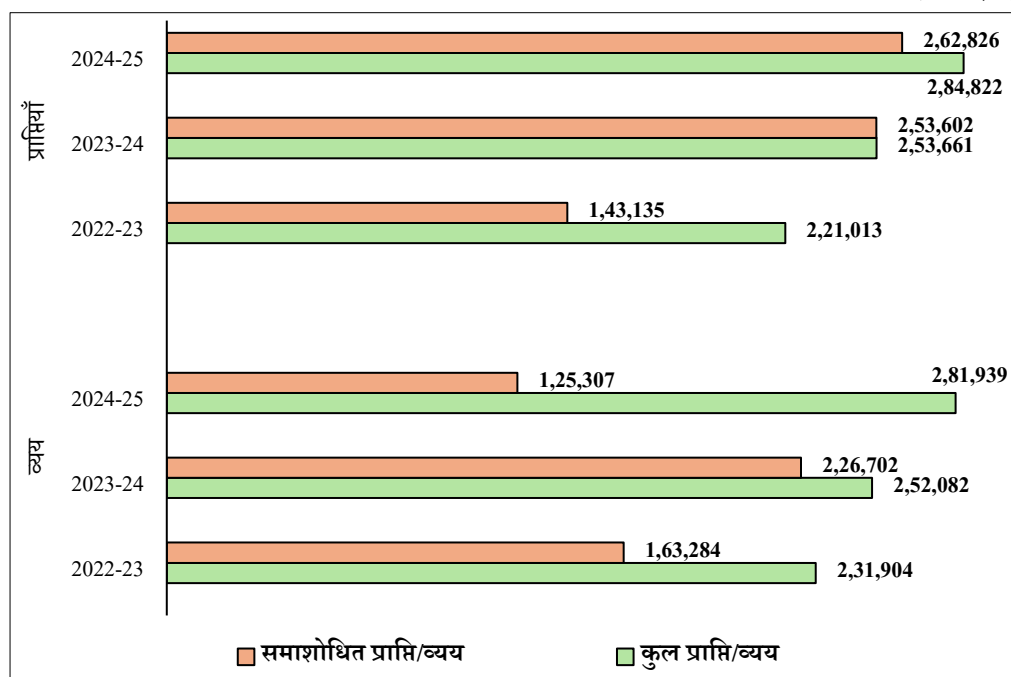
तालिका 3.15: नियंत्री अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन की स्थिति

वर्ष	नियंत्रि अधिकारियों की कुल संख्या	नियंत्रि अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अपनी प्राप्तियों/व्यय का समाशोधन किया		
		पूर्णतः समाशोधित	आंशिक रूप से समाशोधित	असमाशोधन
प्राप्तियां				
2022-23	01	00	01	00
2023-24	01	00	01	00
2024-25	01	00	01	00
व्यय				
2022-23	51	00	20	31
2023-24	52	50	00	02
2024-25	52	00	40	12

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के द्वारा प्रदत्त सूचना

चार्ट 3.4: वर्ष 2022-25 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन की स्थिति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के द्वारा प्रदत्त सूचना

बिहार में व्यापक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (सी०एफ०एम०एस०) में ऑनलाइन समाशोधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया है। अतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा लेखाबद्ध लेन-देन का राज्य सरकार के अनुदान माँग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखाबद्ध लेन-देन से समाशोधन करने हेतु मासिक लेखे में सम्मिलित लेनदेन के आंकड़े (डम्प फाइल) को सुरक्षित फाइल स्थानान्तरण प्रोटोकॉल (एस०एफ०टी०पी०)⁴ उपयोगिता के माध्यम से सी०एफ०एम०एस० के मुख्य सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इसके उपरान्त, प्रधान महालेखाकार के लेन-देन संबंधी आंकड़े की, सी०एफ०एम०एस० के आंकड़े से तुलना की जाती है तथा विभागवार समाशोधन प्रतिवेदन सी०एफ०एम०एस० में तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन सभी विभागीय प्रशासक उपयोगकर्ताओं तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रशासक उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध रहता है। विभागीय प्रशासक उपयोगकर्ता समाशोधन प्रतिवेदन तैयार कर उसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित करते हैं।

राज्य सरकार सभी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में समाशोधन करने हेतु एक मॉड्यूल विकसित कर सकती है।

3.10 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के लेखों में अंकित राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

⁴ यह एक सिक्वोर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने हेतु सिक्वोर शेल एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है।

वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 966.80 करोड़ (नामे) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष ₹ 18.95 करोड़ (जमा) दर्शाया गया था। इस प्रकार, ₹ 947.85 करोड़ का एक महत्वपूर्ण अंतर था, जो वित्त विभाग, बिहार सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की जानकारी में, समाशोधन के अधीन है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सूचित नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष के बीच का अंतर विगत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है और यह अंतर निरंतर बना हुआ है।

3.11 लोक लेखा में प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में किसी लेखा शीर्ष का अंत शेष ऋणात्मक दिखाई देता है। इसमें देयता शीर्ष जहाँ सामान्यतः जमा शेष होना चाहिए, वहाँ नामे /(-) जमा शेष दिखाता है एवं परिसंपत्ति शीर्ष जहाँ सामान्यतः नामे शेष होना चाहिए, वहाँ जमा /(-) नामे शेष प्रदर्शित होता है।

प्रतिकूल शेष किसी लेखा शीर्ष में गलत वर्गीकरण, उपलब्ध निधि से अधिक वितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी इकाई में शेष राशि को अग्रेषित न करना, या प्रशासनिक पुनर्गठन आदि के कारण उत्पन्न होता है। 31 मार्च 2025 को 14 शीर्षों में संचयी प्रतिकूल शेष पाया गया। विस्तृत विवरण तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16: प्रतिकूल शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मदों की संख्या	ऋणात्मक शेष
1	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	2	1.39
2	6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	1	0.08
3	6216	आवास के लिए ऋण	1	0.00*
4	6245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए ऋण	2	2.83
5	6401	फसल कृषि कर्म के लिए ऋण	1	0.01
6	6425	सहकारिता के लिए ऋण	2	39.01
7	6851	ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	2	1.39
8	6885	उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य ऋण	2	0.03
9	7610	सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण	4	18.07
10	8009	राज्य भविष्य निधि	1	577.13
11	8336	सिविल जमा (ब्याज सहित)	1	0.55
12	8443	सिविल जमा (ब्याज रहित)	3	0.54
13	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1	1.00
14	8550	सिविल अग्रिम	1	3.41

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

*₹ 0.13 लाख

ये प्रतिकूल शेष प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन थे।

यह मामला वित्त विभाग, बिहार सरकार के समक्ष उठाया गया था, परंतु उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2026 तक)।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

3.12 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि०म०ले०प०) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नि०म०ले०प० की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई०जी०ए०एस०) अधिसूचित किया हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन लेखा मानकों के अनुपालन के साथ-साथ उसमें कमियों का विवरण तालिका 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम सं०	लेखांकन मानक	आई०जी०ए० एस० का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	आई०जी०ए०एस०-1	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति-प्रकटीकरण आवश्यकता	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति का विवरण वर्गवार एवं क्षेत्रवार प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान लागू प्रत्याभूति, ब्याज, प्रत्याभूति, कमीशन/शुल्क आदि से संबंधित कुछ सूचनाएँ भी राज्य सरकार द्वारा वित्त लेखों में पूर्ण रूप से प्रस्तुत न किए जाने के कारण अपूर्ण रहीं।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभागों और वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूति, कमीशन की राशि, प्राप्त शुल्क का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई०जी० ए०एस०-2	सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा, राजस्व खण्ड के बजाय पूंजीगत खण्ड में ₹33.11 करोड़ के राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण किया गया था (कड़िका 2.5.5)।	वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
3.	आई०जी० ए०एस०-3	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया क्योंकि 'अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया पुनर्भुगतान', 'शाश्वत ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामले', तथा 'उन ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम जिनसे विगत ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है' के संबंध में प्रकटीकरण अधूरा है।	वित्त लेखों का विवरण 7 और 18 इस सीमा तक अपूर्ण रहा।
4	आई०जी० ए०एस०-4	पूर्व अवधि समायोजन	अनुपालन किया गया	-

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25, बिहार सरकार

भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आई०जी०ए०एस०) के प्रावधानों के विपरीत प्रत्याभूतियाँ, सहायता अनुदान, निवेश तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सूचनाओं के प्रकटीकरण में कमियाँ पाई गई हैं। इन मानकों का समुचित अनुपालन न किए जाने से वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा राजकोषीय जोखिम, परिसंपत्ति प्रबंधन एवं दायित्व वहनीयता के समुचित आकलन हेतु हितधारकों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आई०जी०ए०एस० के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। साथ ही, आई०जी०ए०एस० के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रतिवेदन की निगरानी के लिए क्षमता-विकास उपायों तथा आवधिक समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3.13 स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण

नि०म०ले०प० (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक सार्वजनिक हित में नि०म०ले०प० से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य की विधानमंडल या संघ राज्य क्षेत्र की विधानमंडल, जैसा लागू हो, द्वारा बनाए गए कानून से स्थापित किसी निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे और यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो नि०म०ले०प० उस निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करेगा और उस लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए नि०म०ले०प० को उस निगम के लेखों और बहियों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नि०म०ले०प० को किसी विधि के द्वारा नहीं सौंपा गया है, वहाँ यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, जैसा लागू हो द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा कर सकते हैं। यह लेखापरीक्षा उन नियमों और शर्तों पर की जाएगी जिन पर उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमती हो। ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए, नि०म०ले०प० को उस निकाय या प्राधिकरण के लेखों और बहियों तक पहुँच का अधिकार होगा (डी०पी०सी० अधिनियम की धारा 20)।

राज्य के 40 निकायों/प्राधिकरणों में से 29 निकायों/प्राधिकरणों (परिशिष्ट 3.4) ने लेखापरीक्षा के लिए अपने वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं कराई थी। इसके अतिरिक्त, शेष 11 स्वायत्त निकायों (ए०बी०) के बकाया लेखों का विवरण तालिका 3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकायों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखों का वर्ष	लंबित लेखों की संख्या
1.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	2024-25	01
2.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2022-23 से 2024-25	03
3.	बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार	2019-20 से 2024-25	06
4.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2010-11 से 2024-25	15
5.	बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड, पटना	2024-25	01
6.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	2022-23 से 2024-25	03
7.	बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2024-25	01

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखे का वर्ष	लंबित लेखो की संख्या
8.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार	2024-25	01
9.	बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग	2024-25	01
10.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	2022-23 से 2024-25	03
11.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	2020-21 से 2024-25	05
कुल			40

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा संकलित जानकारी

लेखो को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति और परिचालन प्रदर्शन के पारदर्शी मूल्यांकन से वंचित रह गये। लेखे को प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम बढ़ जाता है और इसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है। लेखापरीक्षा ने चूककर्ताओं के लेखे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने के मामले को बार-बार उठाया है, लेकिन इसमें कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं हुआ है।

3.14 एस०पी०एस०ई० जिनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया को बजटीय सहायता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना है। वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं। उपरोक्त तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों और निगमों में निवेश की गई लोक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 तक ₹ 29,215.17 करोड़ की बजटीय सहायता (अंशपूँजी, ऋण, प्रत्याभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) 17 कार्यशील एस०पी०एस०ई०, दो कार्यशील सांविधिक निगमों और 15 अकार्यशील एस०पी०एस०ई० को प्रदान किया। इनमें से अधिकांश एस०पी०एस०ई० ने 31 मार्च 2025 तक (30 सितंबर 2025 तक) अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। लेखे के बकाया की अवधि एक से लेकर 48 वर्षों के बीच थी, जो संबंधित कंपनियों के अधिनियम/वैधानिक निगमों/एस०पी०एस०ई० के प्रावधानों का उल्लंघन है (परिशिष्ट 3.5)।

लेखे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इन कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित है, करने में असमर्थ था। लेखे को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, इन कंपनियों में सरकार द्वारा किए गए निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहे और लेखापरीक्षा द्वारा जांच से बच गए। फलस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्यकुशलता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हों, समय पर नहीं किए जा सके। इसके अलावा, धोखाधड़ी और लोक निधि के दुरुपयोग के जोखिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

अन्य मुद्दे

3.15 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

बिहार वित्तीय नियमावली, 1950 के नियम 34 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण सरकार को हुई किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, यदि किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की धोखाधड़ी या लापरवाही से हुई हानि में उसके अपने कृत्य या लापरवाही से योगदान रहा हो, तो वह उस सीमा तक उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त, बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 31 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति की हानि, चाहे वह गबन अथवा अन्य किसी कारण से हुई हो, संबंधित कार्यालय द्वारा तत्काल उच्च प्राधिकारी, वित्त विभाग तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित की जानी चाहिए, भले ही संबंधित पक्ष द्वारा हानि की भरपाई कर दी गई हो। जैसे ही हानि की आशंका उत्पन्न हो, ऐसा प्रतिवेदन तुरंत भेजा जाना चाहिए और जांच पूर्ण होने की प्रतीक्षा में इसे विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के 45 विभागों में से सात विभागों ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की, जबकि एक विभाग (गृह विभाग) ने गबन/हानि/चोरी के मामलों की सूचना दी, जैसा कि तालिका 3.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19: दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के लंबित मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग/निगम का नाम	गबन, हानि और चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच के अधीन		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई लेकिन अंतिम रूप नहीं		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (गृह विभाग)	02 ^s	1.04	01*	0.98	-	-	01	0.06
कुल	02	1.04	01	0.98	-	-	01	0.06

स्रोत: विभागीय आंकड़ा/सूचना

* विभाग द्वारा लेखा अनुभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आंशिक विवरण ही अब तक उपलब्ध कराया गया है।

\$ विभाग द्वारा सूचना वर्ष 2023-24 तक ही उपलब्ध कराई गई है।

कुल 02 मामलों में से एक मामले (₹ 0.06 करोड़) में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि एक अन्य मामले (₹ 0.98 करोड़) में विभागीय और आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।

3.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (पी०ए०सी०)/वित्त विभाग से यह अपेक्षित होता है कि वे संबंधित विभागों को विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्णित कंडिकाओं पर (स्वतः संज्ञान लेकर) स्वप्रेरित स्पष्टीकरण टिप्पणी (ई०एन०) उपलब्ध कराएं। संबंधित विभागों से भी यह अपेक्षित है कि वे

प्रतिवेदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से तीन माह के भीतर कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए०टी०एन०) प्रधान महालेखाकार को (पुनरीक्षण एवं पी०ए०सी० को प्रेषित करने के लिए) उपलब्ध कराएंगे।

राज्य की लोक लेखा समिति ने वर्ष 2021-22 से राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक नहीं की। विगत वर्षों से संबंधित कुल 421 कंडिकाओं में से, लोक लेखा समिति ने केवल तीन कंडिकाओं (जो वर्ष 2008-09 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित थे) पर ही चर्चा की है, जबकि शेष सभी कंडिकाएँ 31 मार्च 2025 तक चर्चा के लिए लंबित थीं।

वित्त विभाग ने समीक्षा हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर केवल आंशिक उत्तर ही उपलब्ध कराए हैं।

3.17 निष्कर्ष

- एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधियों के अंतरण में विलंब के कारण राज्य सरकार पर अपरिहार्य ब्याज बोझ पड़ा और एक विलंबित दायित्व का सृजन हुआ। ₹ 1,341.37 करोड़ का अंतरण न करने के परिणामस्वरूप सरकार के नकद शेष का अतिकथन हुआ एवं उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे का अवकथन हुआ।
- एकत्रित उपकरणों की राशि को संबंधित राज्य/बोर्ड की निधि में अंतरण में विलंब/ अंतरण न किए जाने तथा समर्पित लेखा शीर्ष का सृजन न किए जाने के कारण अव्ययित शेष एकत्रित हो गया एवं संबंधित उपकरण की संग्रहण के उद्देश्य की पूर्ति उस सीमा तक विफल हो गयी।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत नहीं किया जाना न केवल निर्धारित वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे निधियों के उनके निर्धारित उद्देश्यों के लिए समुचित उपयोग के संबंध में आश्वासन भी बाधित होता है और दुर्विनियोजन, धन के विचलन तथा अव्ययित शेष राशि के संचय का जोखिम बढ़ गया।
- मार्च 2025 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में उल्लेखनीय राशि का अंतरण किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में पर्याप्त निधियाँ जमा रही। बिहार कोषागार संहिता के नियमों का पालन न करने के कारण व्यक्तिगत जमा खातों में धनराशि व्यपगत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हुआ।
- असमायोजित अग्रिमों का लंबे समय तक सरकारी खाते से बाहर रहने से दुरुपयोग, दुर्विनियोजन और राज्य कोष को संभावित क्षति का जोखिम बढ़ता है।
- ₹ 29,215.17 करोड़ की बजटीय सहायता (अंशपूँजी, ऋण, प्रत्याभूति, पूँजीगत अनुदान और अन्य) 34 क्रियाशील/अक्रियाशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एस०पी०एस०ई०) को प्रदान की गई थी, जबकि उनके लेखे एक से 48 वर्षों की अवधि तक लंबित थे।

3.18 अच्छी प्रथाएँ

- राज्य सरकार द्वारा 18 जुलाई 2025 को प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन किया गया एवं उसमें ₹ 1,000 करोड़ की राशि निवेशित की गई।
- भारतीय सरकारी लेखा मानक-4 “पूर्व अवधि समायोजन” का अनुपालन किया गया।

3.19 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- भविष्य की देनदारियों के संचय को रोकने के लिए, एन०पी०एस० निधि का एन०एस०डी०एल०/न्यासी बैंकों को समय पर अंतरण सुनिश्चित कर सकती है।

- स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों के संग्रहण और अंतरण हेतु समरूप लेखांकन प्रक्रिया लागू कर सकती है।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने में समयबद्धता सुनिश्चित कर सकती है और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की नियमित निगरानी और समाशोधन कर सकती है।
- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समय पर जमा करने की आवश्यकताओं का अनुपालन लागू कर सकती है, और जहाँ पुराने विपत्रों का समायोजन नहीं हुआ है, वहाँ भविष्य में सार आकस्मिक विपत्रों की निकासी पर रोक लगा कर सकती है।
- पी०डी०/पी०एल० खाता प्रशासकों द्वारा समाशोधन सुनिश्चित कर सकती है एवं अनुपालन न करने पर जवाबदेही तय कर सकती है तथा वर्ष के अंत में पी०डी० खातों में निधि जमा रखने को हतोत्साहित कर सकती है।
- भारतीय सरकारी लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है।

पटना

दिनांक : 27 मार्च 2026


(डॉ. संदीप राय)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 06 अप्रैल 2026


(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक